



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक : दीदउगोवि/सम्बद्धता/2014/1081

दिनांक : 24/7/2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय,
धनौती, भाटपार रानी, देवरिया

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष के चयन का अनुमोदन।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 08.05.2014 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-


क्र.सं.	नाम विभागाध्यक्ष	विषय
1.	डॉ० कुलदीप कुमार	विभागाध्यक्ष- बी०एड०

शर्तें :

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित समिति की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबन्ध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेगी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,


उप कुलसचिव (सम्बद्धता)


24/7/14 1081



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/875

दिनांक 8/5/14 /2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय
धनीती, नाटपारसानी, देवरिया

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 28.04.2014 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि भविष्य में यदि कोई विसंगति घटने के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है या फिर प्रस्तुत कोई सूचना त्रुटिपूर्ण/घामक/असत्य पाई जाती है तो महाविद्यालय प्रशासन तथा प्रबन्धक के विरुद्ध नियमानुसार उचित एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

क्र.सं.	विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता का नाम	विषय
स्नातक : शिक्षा संकाय		
1	श्री सत्येन्द्र सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0
2	श्री चर्मन्द कुमार ओझा	प्रवक्ता, बी0एड0
3	श्री राधवेन्द्र सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0
4	श्री रामचन्द्र यादव	प्रवक्ता, बी0एड0
5	श्री राम कृपाल	प्रवक्ता, बी0एड0
6	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	प्रवक्ता, बी0एड0
7	श्री पुनीत कुमार	प्रवक्ता, बी0एड0

नोट:- उपर्युक्त चयनित प्रवक्ताओं को नेट प्रमाण पत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर कराकर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर नेट प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा। चयनित विभागाध्यक्ष श्री0 कुलदीप कुमार का यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2009 के अनुसार उपाधि प्राप्त होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुमोदन नहीं किया गया है। उक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने पर अनुमोदन के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/संतर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 08 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयवधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या: 759/संतर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणकर्तव्य कर्मियों को एकाउण्टपेयी बैंक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)
9/5/2014

